CPC-141

कार्यालय पुलिस आयुक्त गुड़गाँव।

पॉलिसी सर्कुलर आदेश नं0 7/2015

विषय :– अदमपता व अखराज रिपोर्ट अभियोगों का शीघ्र निपटारा।

देखने में आया है कि अदमपता व अखराज अभियोगों के अनुसंधान में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा शिथिलता से कार्य किया जाता है और प्रबन्धक थाना एवम् पर्यवेक्षण अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे मामलों में समस्त पहलूओं पर अनुसंधान पूर्ण किए बिना ही अदमपता व अखराज रिपोर्ट लिख दी जाती हैं।

अदमपता रिपोर्ट/अखराज रिपोर्ट सहायक पुलिस आयुक्त (पर्यवेक्षण अधिकारी) के कार्यालय में प्राप्त होने पर प्रवाचक द्वारा विभिन्न ऐतराज अनुसंधान पूर्ण कराने हेतु लगाए जाते हैं। इन ऐतराजो की पूर्ति में कोई अनुसंधान नहीं किया जाता है। बल्कि लम्बित रखकर कुछ समय उपरान्त पुनः पर्यवेक्षण अधिकारी को भेज दी जाती हैं।

अभियोग के परिवादी को अदमपता/अखराज रिपोर्ट न्यायालय से मंजूरी का आदेश बीमा राशि प्राप्त करने हेतु वांछनीय होता है। अतः परिवादी अपना आवश्यक काम छोडकर थाना एवम् विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाता रहता है जो पुलिस कर्मचारियों द्वारा इस कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु भ्रष्ट आचरण प्रदर्शित करने की सम्भावना रहती है।

उपरोक्त अपनाई जा रही प्रकिया में पारदर्शिता नहीं है, जिससे भष्टाचार की सम्भावना बनी रहती है तथा पुलिस की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। अतः भविष्य में अभियोगों के अनुसंधान में अनावश्यक देरी न हो और अदमपता/अखराज रिपोर्ट का निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली अपनाई जावे :–

1. अभियोगों का अनुसंधान शीघ्र पूरा किया जावे जिसमें सभी पहलुओं पर अनुसंधान पूर्ण होना प्रबन्धक थाना व पर्यवेक्षण अधिकारी दौराने अनुसंधान समय–2 पर अनुसंधान समीक्षा करके सुनिश्चित करें ताकि अदमपता/अखराज रिपोर्ट पर ऐतराज/आपत्ति की सम्भावना न रहे।
2. अनुसंधान पूर्ण होने उपरान्त अदमपता/अखराज रिपोर्ट तैयार करके 5 दिन में पर्यवेक्षण अधिकारी को प्रस्तुत होकर, पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा पुलिस उपायुक्त को 5 दिन में प्रेषित हो।
3. पुलिस उपायुक्त को फाईल प्रस्तुत होकर, VRK से असल फाईल संलग्न होकर पुनः 5 दिन के अन्दर–2 VRK से प्रवेक्षण अधिकारी को फाईल प्रस्तुत हो।

4. पर्यवेक्षण अधिकारी अपनी टिप्पणी सहित फाईल 3 दिन में पुलिस उपायुक्त को प्रेषित करे।
5. पुलिस उपायुक्त 3 दिन में अपनी सहमति सहित न्यायालय को प्रस्तुत करने हेतु VRK को प्रेषित करें।
6. VRK फाईल 3 दिन में प्रबन्धक थाना को परिवादी सहित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित करे।
7. प्रबन्धक थाना 7 दिन में परिवादी को सूचित करके परिवादी को फाईल सहित न्यायालय में पेश करके अदमपता/अखराज रिपोर्ट स्वीकृति आदेश प्राप्त करें व आदेश की प्रति परिवादी को पावती लेकर प्रदान करने उपरान्त फाईल वापस VRK को प्रेषित करें।

पुलिस आयुक्त,
गुड़गाँव।

क्रमाँक 9353-9400/प्रवाचक दिनांक 12/3/15

इसकी प्रतियां निम्नलिखित को सूचना एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. संयुक्त पुलिस आयुक्त, गुड़गाँव।
2. सभी पुलिस उपायुक्त जिला गुड़गाँव।
3. सभी सहायक पुलिस आयुक्त, जिला गुड़गाँव।
4. सभी प्रबन्धक थाना, जिला गुडगाँव।
5. वी0आर0के0 गुड़गाँव।